

## प्रारूप-2

### भाग-1 (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दाड़िमखोला से सकनियाकोट लिंक मोटर मार्ग स्टेज प्रथम (लम्बाई 5.750 किमी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

|    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                        |                 |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| 1. | क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।                 | जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत दाड़िमखोला से सकनियाकोट लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।<br>(लम्बाई 5.750 किमी०)                                                              |                        |                 |                   |
|    | ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। | संलग्न है।                                                                                                                                                                                           |                        |                 |                   |
|    | ग) परियोजना की लागत।                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                        |                 |                   |
|    | घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।                                     | इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों का भी सर्वेक्षण किया गया। तकनीकी दृष्टि से अन्य स्थानों पर मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।                                                                 |                        |                 |                   |
|    | ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)                                        | लागू नहीं है।                                                                                                                                                                                        |                        |                 |                   |
|    | च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।                                               | मोटर मार्ग के निर्माण से क्षेत्रीय ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा एवं उनके द्वारा उत्पादित फल एवं सब्जी को बजार तक जाने में सुविधा होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा जिससे ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त होगा। |                        |                 |                   |
| 2. | कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:                                                | वन पंचायत वन भूमि                                                                                                                                                                                    | सिविल एवं सोयम वन भूमि | आरक्षित वन भूमि | कुल भूमि (है०में) |
|    |                                                                                        | 0.000 है०                                                                                                                                                                                            | 0.455 है०              | 0.000 है०       | 0.455 है०         |
| 3. | परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई ले                                   | कोई नहीं                                                                                                                                                                                             |                        |                 |                   |
|    | क) परिवारों की संख्या                                                                  | कोई नहीं                                                                                                                                                                                             |                        |                 |                   |
|    | ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या                                          | कोई नहीं                                                                                                                                                                                             |                        |                 |                   |
|    | ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)                                            | आवश्यकता नहीं है।                                                                                                                                                                                    |                        |                 |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 4. | क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)                                                                                                                                                         | नहीं                                   |
| 5. | प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये) | सभी प्रमाणपत्र प्रस्ताव में संलग्न है। |
| 6. | निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।                                                                                                                                                                  | अनुक्रमण तालिका में संलग्न हैं।        |

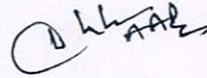
दिनांक.....

स्थान.....

(प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर)  
**Executive Engineer**  
 नाम.....**P.M.G.S.Y., Division**  
 मोहर.....**P.W.D., ALMORA**

  
 अमीन

पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड,  
 लो0नि0वि0 अल्मोड़ा



कनिष्ठ अभियन्ता  
 पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड,  
 लो0नि0वि0 अल्मोड़ा



सहायक अभियन्ता  
 पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड,  
 लो0नि0वि0 अल्मोड़ा